12.53 hrs.

Title: Regarding non-compliance of the guidelines issued under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana by the States.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, अभी शुक्रवार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर इस सदन में आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत हुई और उस पर चर्चा हुई। पिछले सत्र में भी मैंने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का प्रकरण उठाया था। उस समय सदन में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कोई भी मामला कहीं उजागर होगा तो निश्चित रूप से उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का मामला मैंने वहां के जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने का कार्य किया है। हमारे राज्य के एक राज्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की तीन सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। जिलाधिकारियों तथा अधिशाी अभियंता ने पत्र लिखकर मुझे सूचित किया कि उनके विभाग द्वारा यह शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न नहीं किया गया है इसलिए यह अवैधानिक कार्यक्रम है। कल चार तारीख को अधिशाी अभियंता द्वारा बाकायदा कार्ड छपवा कर शिलान्यास सम्मेलन का प्रचार किया गया। मैं भी कल वहां उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। परसों शाम को ही मेरे पास वह अधिशासी अभियंता आए और रोने के अंदाज में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर बार-बार दबाव डाला जा रहा है कि तुमने किससे पूछ कर तिथि घोाित की, इसलिए कार्यक्रम को कैंसिल कर दो। उन्होंने लिखित तौर पर मुझे कहा कि कल का कार्यक्रम हम अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हैं। जो ठेकेदार वहां पिलर खड़े कर रहा था, कोल्हुई के थानाध्यक्ष ने उस राज्य मंत्री के दबाव में आकर उसे थाने में ले जाकर बिठा दिया। भारत सरकार अगर कोई दिशा-निर्देश जारी करे, उसके बाद भी उनका उल्लंघन हो तो यह घोर आपत्तिजनक है। या तो भारत सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में संसद सदस्यों की भूमिका को समाप्त कर दे, अन्यथा जो दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित कराए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी से आप जवाब दिलवा दें।â€¦ (व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : बिहार में इस योजना के तहत एक भी नियम की पालना नहीं की जा रही है। पूरा का पूरा पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ हैâ€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : संसद सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : मेरे संसदीय क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क भी इस योजना के तहत नहीं बनी है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अगर सरकार जवाब देने में सक्षम नहीं है तो आप निर्देश दें कि वह अपने दिशा-निर्देशों को वापस ले ले, ताकि हमारी इस तरह से छीछालेदर न हो।

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर यदि राज्य सरकार की ओर से खर्च नहीं होता है तो वह राशि एम.पी. लैड में दे दे, हम बनवा देंगे।â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : सर, संसद सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर सरकार जवाब देने में सक्षम नहीं है तो आप निर्देश दे दीजिए कि वह अपने दिशा-निर्देशों को वापस ले ले।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को एमपी लैड में दे दीजिए हम लोग सड़क बनवा देंगे।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये, मंत्री जी बोलना चाहती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुमा स्वराज) : मेरे संसद के साथियों को शायद मालूम नहीं है कि अभी इसी सत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर एक ध्यान आर्काण प्रस्ताव भी आया था, जिसका जवाब बाकायदा ग्रामीण विकास मंत्री जी ने दिया था। उसके बावजूद भी अगर वे चाहते हैं कि मैं इस विाय को उनके संज्ञान में ला दूं तो निश्चित रूप से मैं यह बात उनके संज्ञान में ला दूंगी जो माननीय सदस्यों ने यहां उठाई है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : संज्ञान में लाने से क्या होगा? क्या आप उस पर कार्रवाई कर सकती हैं, कोई कमेटी आप बना सकती हैं, कोई जांच उसकी हो सकती है, क्या आपके पास इसका कोई उपाय है?